

21-08-2020

वकील वादी श्री मुकेश वाणिजा ने  
हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दफा  
दर्ज रजिस्टर किया जैसे। पुनर्विहीनता की तलवी  
जारी समन की जाकर पत्रावली दिनांक 18/9/2020  
को पेश हो।

1211-84

21-8-2020

02/9/2020

वकील वादी श्री मुकेश वाणिजा द्वारा  
प्रस्तुत प्राठ पत्र वाकत भिपल तलवी स्वीकार  
किया जाने पर पत्रावली निमत पेशी से तलवी  
की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने  
एक प्राठपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
उक्त प्रकरण में विवादित पत्रकारों के मध्य  
राजीनामा हो चुका है इसलिए पत्रकार अपना  
वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्राठपत्र  
स्वीकार कर दावा विद्रा किये जाने की अनुमति  
प्रदान करने की कृपा करें।

चूंकि वकील वादी के कथनानुसार  
मौके पर विवादित पत्रकारों के मध्य राजीनामा  
हो चुका है तथा पत्रकार प्रकरण में आगे कोई  
कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः <sup>वकील</sup> वादी का प्राठपत्र

तारीख हुकम

वकील हुकम  
अहमद हुकम  
हुकम में

स्वीकार किया जाऊ दस्तावेज वादपत्र विडा  
किने जाने की अनुमति प्रदान की जाती  
है प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं है अतः कार्यवाही प्रकरण में इसी स्तर  
पर drop की जाती है। फावली कैल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा धक  
तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले  
ज्यायालय में सुनाया गया।

29/2020  
(शमशा सुमार)  
RPS  
सिंह कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

